भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1781
13.12.2023 को उत्तर देने के लिए

एमपीएलएडी निधि में वृद्धि

1781. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
एडवोकेट ए.एम.आरिफ:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना के कामकाज की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ाने की मांग लगातार संसद सदस्यों द्वारा की जाती रही है क्योंकि प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपये की राशि संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुत कम राशि है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भवन निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि और कौशल एवं अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि तथा अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु प्रत्येक संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए प्रदान की जाने वाली एमपीएलएडी निधि को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने कभी भी एमपीएलएडी की राशि बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने का विचार है; और

(च) वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर 2021-22 तक निर्धारित, स्वीकृत और उपयोग की गई एमपीएलएडी निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) जी हाँ। मंत्रालय ने देशभर के 216 जिलों में दिनांक 01-04-2014 से दिनांक 31-03-2019 तक की अवधि के दौरान पूरे किए गए एमपीलैड्स कार्यों का एक तृतीय-पक्षीय वास्तविक मूल्यांकन संचालित किया। मूल्यांकन वर्ष 2021 में किया गया और एजेंसी ने दिनांक 31-08-2021 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) से (ङ) मंत्रालय में,वित्त मंत्रालय के परामर्श से उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निधियों की पात्रता के संशोधन हेतु सुझावों सहित हितधारकों से नए सुझाव सतत् आधार पर प्राप्त होते हैं और मंत्रालय द्वारा उनकी जाँच की जाती है।

(च) वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक निर्धारित, संस्वीकृत और प्रयुक्त एमपीलैड निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न (अनुबंध-1) है।

*****

अनुबंध-1

{दिनांक 13.12.2023 को उत्तर देने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1781 के उत्तर के भाग (च) में संदर्भित अनुबंध}

तालिका: निर्धारित, संस्वीकृत और प्रयुक्त एमपीलैड निधियों का ब्यौरा

करोड़ रू. में

क्रम. सं.	वित्तीय वर्ष	निर्धारित	संस्वीकृत	प्रयुक्त**
1	2019-20	3950	3640.00	2491.49
2	2020-21	0*	1107.50	2041.61
3	2021-22	2630*	1729.50	1439.38

* वैश्विक महामारी कोविड- 19 को देखते हुए, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) दो वित्तीय वर्षों 2020-21 और 2021-22 (आंशिक रूप से 9-11-2021 तक) के लिए गैर परिचालित थी और समाज पर कोविड- 19 के स्वास्थ्य और प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन के लिए, बजटीय आवंटन को वित्त मंत्रालय के निपटान पर रखा गया था। तथापि, दिनांक 16.03.2021 को व्यय विभाग (डीओई) से 2,200 करोड़ रूपये का आवंटन प्राप्त होने पर, विभाग ने मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह में वित्त वर्ष 2019-20 और पिछले वर्षों के लिए 1107.5 करोड़ रूपये की लंबित किस्तें जारी की। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, योजना को दिनांक 10-11-2021 से बहाल किया गया था और प्रभाग ने आरई 2021-22 में 2,630 करोड़ रूपये के आवंटन के लिए 1729.5 करोड़ रू की किस्तें जारी की।

** 1. प्रयुक्त निधि में विगत वर्षों के लिए संस्वीकृत किए गए कार्यों हेतु निधि उपयोगिता भी शामिल है।

2. एमपीलैड्स पोर्टल पर डाटा नोडल जिला प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार है।

*****